न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–1, फतेहपुर।

उपस्थितः राम किशोर–III ....एच०जे०एस०

जे०ओ०कोड–UP6055

सत्र परीक्षण संख्या 181/2016

UPFT010033062016

राज्य

.............**अभियोजक**

प्रति

1. रमेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० राम गोपाल शुक्ला
2. श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला पत्नी रमेश प्रसाद शुक्ला
3. आशादेवी पुत्री रमेश प्रसाद शुक्ला

निवासीगण–ग्राम खेसहन, थाना–गाजीपुर, जिला फतेहपुर।

..............**अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–136/2015
धारा–302 सपठित धारा 34,
323 सपठित धारा 34 व 504 भा०दं०सं०
थाना–गाजीपुर, जिला–फतेहपुर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 133/2018

UPFT010022292018

राज्य

.............**अभियोजक**

1. रमेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० राम गोपाल शुक्ला
2. श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला पत्नी रमेश प्रसाद शुक्ला
3. आशादेवी पुत्री रमेश प्रसाद शुक्ला
4. विनय कुमार शुक्ला पुत्र रमेश प्रसाद शुक्ला

निवासीगण–ग्राम खेसहन, थाना–गाजीपुर, जिला फतेहपुर।

धारा–302/34 भा०दं०सं०
थाना–गाजीपुर, जिला–फतेहपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद संख्या 181/2016 में अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला व आशादेवी का विचारण मुकदमा अपराध संख्या 136/2015 अन्तर्गत धारा–302 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 मे अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, भगवती देवी उर्फ निर्मला, आशा देवी व विनय

कुमार शुक्ला का विचारण अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर में किया जाता है।

2. सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 राज्य बनाम रमेश प्रसाद शुक्ला आदि व सत्र परीक्षण संख्या 181/2016 राज्य बनाम रमेश कुमार शुक्ला आदि को समेकित कर सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 मुख्य वाद लीडिंग केस के रूप में चलाया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या 236/2019 को सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 मे समेकित किया गया।

3. वादी मुकदमा शिवभूषण शुक्ला ने लिखित सूचना थाना प्रभारी थाना गाजीपुर, फतेहपुर को इस आशय की दिया कि दिनांक 12.06.2015 को वादी मुकदमा जानवर लेकर हार (खेतो)की तरफ चला गया था तथा मेरी पत्नी प्रेमादेवी एक शादी निमन्त्रण में रायबरेली गयी थी। घर पर अकेली कोमल देवी उम्र 17 वर्ष घर पर थी, मेरे पड़ोस के रमेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० रामगोपाल शुक्ला से खेत बटवारा व आम के पौधो का पुराना विवाद था, उसी रंजिश के चलते मेरी लड़को को अकेले पाकर समय करीब चार बजे सायंकाल रामेश शुक्ला व भगवती देवी (निर्मला) तथा लड़का विनय कुमार शुक्ला व लड़की आशा देवी पुत्री रमेश प्रसाद शुक्ला निवासीगण ग्राम पोस्ट खेसहन थाना गाजीपुर ने मारा पीटा व मेरी लड़की जान बचाकर भागी तो चारो लोगो ने घर में घुसकर आंगन में जाकर मारपीट कर निर्मम हत्या कर दिया व मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और अपने घर की तरफ भाग गये । इस घटना को गांव के पिंकी शुक्ला पत्नी अनिल शुक्ला व मुन्नी देवी पत्नी रामसरन शुक्ला व जुग्गू दुबे पुत्र कल्लू प्रसाद शुक्ला ने घटना को देखा है। मेरी लड़की की लाश घर के आंगन मे जली मरी पड़ी है,लिखित सूचना दे रहा हूं, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

4. वादी मुकदमा की लिखित सूचना के आधार पर थाना गाजीपुर में दिनांक 12.06.2015 को समय 23.20 बजे मु०अ०सं० 136/2015 अंतर्गत धारा–302 व 452 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, भगवतती देवी उर्फ निर्मला, विनय कुमार शुक्ला व आशा देवी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व गवाहान के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्णकर अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला व आशादेवी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 73/2015 दिनांकित 28.06.2015 अन्तर्गत धारा – 323,306 व 504 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना पाते हुए पत्रावली विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। पत्रावली सत्र न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त सत्र वाद के रूप में दर्ज की गयी। अभियुक्तगण रामबरन सोनकर, शिवबरन सोनकर व रंजीत सोनकर की पत्रावली पर सत्र विचारण संख्या 181/2016 व सत्र परीक्षण 133/2018 कायम हुआ।

6. सत्र परीक्षण वाद संख्या 181/2016 में अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला व आशादेवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप दिनांक 13.01.2017 एवं सत्र परीक्षण संख्या 133/2018 मे अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, भगवती देवी उर्फ निर्मला, आशा देवी व विनय कुमार शुक्ला के विरूद्व अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप दिनांक 18.10.20222 को विरचित किया गया तथा अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा शिव भूषण शुक्ल (अ०सा०–1), मुन्नी देवी (अ०सा०–2), विजय कुमार मिश्रा (अ०सा०–3), रामभूषण (अ०सा०–4) व राजा सैनी(अ०सा०–5)को परीक्षित कराया गया है।

8. पत्रावली में निम्न अभियोजन प्रपत्र सम्मिलित हैः–

क्र०सं०	**अभियोजन प्रलेखों का विवरण**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर	क–1
2.	परिवाद	क–2
3.	शपथपत्र परिवाद	क–3

4.	पंचायतनामा	क–4
5.	फर्द प्लास्टिक पिपिया	क–5
6.	चिक एफ०आई०आर०	क–6
7.	जी०डी० तस्करा	क–7
8.	नक्शा नजरी	क–8
9.	आरोपपत्र धारा 306 भा०दं०सं०	क–9
10.	फर्द माचिस	क–10
11.	पुलिस प्रपत्र 33	क–11
12.	नमूना मोहर	क–12
13.	फोटो नास	क–13
14.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	क–14
15.	चालान नास	क–15

9. बचाव पक्ष की ओर से पुलिस एवं चिकित्सीय प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को धारा 294 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा शिवभूषण शुक्ला** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम विनय शुक्ला को मै जानता हूं, रमेश प्रसाद शुक्ला, आशा देवी, निर्मला उर्फ भगवती हाजिर अदालत नही है, फिर कहा कि रमेश प्रसाद शुक्ला अब हाजिर अदालत आ गया है। मेरी पुत्री कोमल की हत्या आज से 9–10 साल पहले हुयी थी। मैने किसी किसी को मारते जलाते नही देखा है। इस सम्बन्ध मे मैने एक तहरीर थाना गाजीपुर मे दी थीं। घटना वाले दिन मै बाहर था। मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमादेवी शादी निमंत्रण मे रायबरेली गयी थी। घर मे मेरी बेटी कोमल थी। मेरे पड़ोस के रामप्रसाद से कोई विवाद नही था। मेरी कोई पुरानी रंजिश नही थी। मेरी लड़की कोमल को अभियुक्तगण द्वारा नही मारा पीटा गया, न ही जलाया गया। मैने घटना होते हुये नही देखा। जब मै बाहर से अपने घर वापस आया तो देखा कि मेरी बेटी आंगन मे जली पड़ी है। मैने लिखित तहरीर गांव वालो के कहने के आधार पर पुनीत कुमार शुक्ला से लिखवा कर थाने मे दिया था। मुझे पुनीत ने पढ़कर नही सुनाया था और हस्ताक्षर मेरे करवा लिये थे। पत्रावली मे शामिल तहरीर कागज संख्या 3अ/4 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मै पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली कागज संख्या 3अ/1 व 4अ/1 मे मेरा हस्ताक्षर है जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान नही लिया था। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी देवी** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त विनय शुक्ला व रमेश शुक्ला को जानती पहचानती हूं, शेष अभियुक्त निर्मला उर्फ भगवती व आशा देवी भी इस मुकदमे मे अभियुक्त है जो आज न्यायालय मे उपस्थित नही हे। उपरोक्त अभियुक्तगणो को मैने मृतिका कोमल देवी को मारते पीटते नही देखा है। कोमल आग से जली थी और उसकी मृत्यु जलने से हुयी थी। मैने उपरोक्त अभियुक्तगणो को जलाते हुये नही देखा । मै बाद मे पहुची थी। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका

कारण मैं नहीं बता सकता। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 विजय कुमार मिश्रा** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि मैं आज न्यायालय से प्राप्त सम्मन अपने साथ लेकर आया हूँ और अपना मूल आधार कार्ड भी साथ में लाया हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ केवल हस्ताक्षर बना लेता हूँ। मैं अपने गाँव के शिवभूषण को भली भांति जानता पहचानता हूँ। मैं शिवभूषण की पुत्री कोमल देवी को भली भांति जानता पहचानता था। घटना के समय मैं गाँव में मौजूद नहीं था न ही मैने घटना होते हुए देखा है। पंचायतनामा के समय मैं मौजूद था पंचायतनामा में मैने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचायतनामा सामिल मिसिल कागज संख्या 10 अ/1 लगायत 10 अ/4 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूँ। पंचायतनामा में क्या लिखा था मुझे कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या 6 अ/1 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूँ दरोगा जी ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था उसमें क्या लिखा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दरोगा जी नें मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 रामभूषण** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। घटना की तारीख में नहीं बता सकता हूँ, घटना वाले दिन मै फतेहपुर आया था, किस काम से आया था मुझे ध्यान नहीं है, उस दिन मुझे सूचना मिली थी कि कोमल देवी ने मेरी भतीजी उसकी मृत्यु हो गयी है। उसके बाद सूचना मिलने पर मैं घर गया था तो मेरी भतीजी कोमल का शव आगंन पर पड़ा था, वहा पर पहले से पुलिस मौजूद थी। शव का पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया था, पत्रावली में सामिल पंचायतनामा कागज संख्या 103/2 लगायत 103/4 पर मेरे हस्ताक्षर है. जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हु, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। फर्द की लिखा पढी मेरे सामने नहीं हुई थी, पुलिस वालो ने सादे कागज में मेरे हस्ताक्षर करवा लिया था. पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या 63/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की मै पहचान व पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान नहीं लिया था।इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजा सैनी** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। घटना वाले मै गांव मे नही था, मै अपने ननिहाल गया हुआ था, गांव आने पर मुझे जानकारी हुयी थी कि मेरे गांव के शिवभूषण की पुत्री कोमल मर गयी है। घटना होते हुये मैने अपनी आंखो से नही देखा है। पुलिस ने मेरा कोई बयान नही लिया था। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

15. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कहा है कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है तथा

गवाहों द्वारा झूठी गवाही दिया जाना कहा है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है, परन्तु अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य दाखिल नही किया गया है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

17. वादी मुकदमा शिवभूषण ने तहरीर प्रदर्श क–1 थाना प्रभारी थाना गाजीपुर, फतेहपुर को इस आशय की प्रस्तुत किया कि दिनांक 12.06.2015 को वादी मुकदमा जानवर लेकर हार (खेतो)की तरफ चला गया था तथा मेरी पत्नी प्रेमादेवी एक शादी निमन्त्रण में रायबरेली गयी थी। घर पर अकेली कोमल देवी उम्र 17 वर्ष घर पर थी, मेरे पड़ोस के रमेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० रामगोपाल शुक्ला से खेत बटवारा व आम के पौधो का पुराना विवाद था, उसी रंजिश के चलते मेरी लड़को को अकेले पाकर समय करीब चार बजे सांयकाल रामेश शुक्ला व भगवती देवी (निर्मला) तथा लड़का विनय कुमार शुक्ला व लड़की आशा देवी पुत्री रमेश प्रसाद शुक्ला निवासीगण ग्राम पोस्ट खेसहन थाना गाजीपुर ने मारा पीटा व मेरी लड़की जान बचाकर भागी तो चारो लोगो ने घर में घुसकर आंगन में जाकर मारपीट कर निर्मम हत्या कर दिया व मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और अपने घर की तरफ भाग गये । इस घटना को गांव के पिंकी शुक्ला पत्नी अनिल शुक्ला व मुन्नी देवी पत्नी रामसरन शुक्ला व जुग्गू दुबे पुत्र कल्लू प्रसाद शुक्ला ने घटना को देखा है। अतः अभियुक्तगण दण्डित किये जाने योग्य हैं।

18. बचावपक्ष की ओर से कहा गया है कि साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक साबित नहीं है, साक्षीगण के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण पर आरोप साबित नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पक्षद्रोही साक्षी हैं। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन कथानक साबित नहीं है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त होने योग्य हैं।

19. प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

20. इस बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन का है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा शिव भूषण शुक्ल (अ०सा०–1), मुन्नी देवी (अ०सा०–2), विजय कुमार मिश्रा (अ०सा०–3),रामभूषण (अ०सा०–4) व राजा सैनी(अ०सा०–5) को परीक्षित कराया गया है। जिनके साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

21. बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में गवाहान द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक साबित नहीं है। वादी मुकदमा व अन्य गवाहान ने घटना के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन किया गया है।

22. अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा शिव भूषण शुक्ला ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम विनय शुक्ला को मै जानता हूं, रमेश प्रसाद शुक्ला, आशा देवी, निर्मला उर्फ भगवती हाजिर अदालत नही है, फिर कहा कि रमेश प्रसाद शुक्ला अब हाजिर अदालत आ गया है। मेरी पुत्री कोमल की हत्या आज से 9–10 साल पहले हुयी थी। मैने किसी किसी को मारते जलाते नही देखा है। इस सम्बन्ध मे मैने एक तहरीर थाना गाजीपुर मे दी थीं। घटना वाले दिन मै बाहर था। मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमादेवी शादी निमंत्रण मे रायबरेली गयी थी। घर मे मेरी बेटी कोमल थी। मेरे पड़ोस के रामप्रसाद से कोई विवाद नही था। मेरी कोई पुरानी रंजिश नही थी। मेरी लड़की कोमल को अभियुक्तगण द्वारा नही मारा पीटा गया, न ही जलाया गया। मैने घटना होते हुये नही देखा। जब मै बाहर से अपने घर वापस आया तो देखा कि मेरी बेटी आंगन मे जली पड़ी है। मैने लिखित तहरीर गांव वालो के कहने के आधार पर पुनीत कुमार शुक्ला से लिखवा कर थाने मे दिया था। मुझे पुनीत ने पढ़कर नही सुनाया था और हस्ताक्षर मेरे करवा लिये थे। पत्रावली मे शामिल तहरीर कागज संख्या 3अ/4 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मै पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली कागज संख्या 3अ/1 व 4अ/1 मे मेरा हस्ताक्षर है जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान नही लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस

गवाह ने अपनी जिरह मे यह कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकता। अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी देवी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान मे यह कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त विनय शुक्ला व रमेश शुक्ला को जानती पहचानती हूं, शेष अभियुक्त निर्मला उर्फ भगवती व आशा देवी भी इस मुकदमे मे अभियुक्त है जो आज न्यायालय मे उपस्थित नही है। उपरोक्त अभियुक्तगणो को मैने मृतिका कोमल देवी को मारते पीटते नही देखा है। कोमल आग से जली थी और उसकी मृत्यु जलने से हुयी थी। मैने उपरोक्त अभियुक्तगणो को जलाते हुये नही देखा । मै बाद मे पहुची थी। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकती। अभियोजन साक्षी संख्या–3 विजय कुमार मिश्रा ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि मैं आज न्यायालय से प्राप्त सम्मन अपने साथ लेकर आया हूँ और अपना मूल आधार कार्ड भी साथ में लाया हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ केवल हस्ताक्षर बना लेता हूँ। मैं अपने गाँव के शिवभूषण को भली भांति जानता पहचानता हूँ। मैं शिवभूषण की पुत्री कोमल देवी को भली भांति जानता पहचानता था। घटना के समय मैं गाँव में मौजूद नहीं था न ही मैने घटना होते हुए देखा है। पंचायतनामा के समय मैं मौजूद था पंचायतनामा में मैने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचायतनामा सामिल मिसिल कागज संख्या 10 अ/1 लगायत 10 अ/4 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूँ। पंचायतनामा में क्या लिखा था मुझे कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या 6 अ/1 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूँ दरोगा जी ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था उसमें क्या लिखा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दरोगा जी नें मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस साक्षी ने अपनी जिरह ऐसी कोई बात नही कही है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिल सके। अभियोजन साक्षी संख्या–4 रामभूषण ने बयान दिया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। घटना की तारीख में नहीं बता सकता हूँ, घटना वाले दिन मै फतेहपुर आया था, किस काम से आया था मुझे ध्यान नहीं है, उस दिन मुझे सूचना मिली थी कि कोमल देवी ने मेरी भतीजी उसकी मृत्यु हो गयी है। उसके बाद सूचना मिलने पर मैं घर गया था तो मेरी भतीजी कोमल का शव आगंन पर पड़ा था, वहा पर पहले से पुलिस मौजूद थी। शव का पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया था,पत्रावली में सामिल पंचायतनामा कागज संख्या 103/2 लगायत 103/4 पर मेरे हस्ताक्षर है. जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। फर्द की लिखा पढी मेरे सामने नहीं हुई थी, पुलिस वालो ने सादे कागज में मेरे हस्ताक्षर करवा लिया था. पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या 63/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की मै पहचान व पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकता। अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजा सैनी ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में सशपथ कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। घटना वाले मै गांव मे नही था, मै अपने ननिहाल गया हुआ था, गांव आने पर मुझे जानकारी हुयी थी कि मेरे गांव के शिवभूषण की पुत्री कोमल मर गयी है। घटना होते हुये मैने अपनी आंखो से नही देखा है। पुलिस ने मेरा कोई बयान नही लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकता।

23. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के गवाहान पक्षद्रोही साक्षी हैं, किन्तु किसी मामले में पक्षद्रोही साक्षीगण होने के कारण अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है मात्र इस आधार पर कि वह हितबद्ध साक्षी हैं।

इस कारण उनके साक्ष्य को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैं। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सिद्धान्त पारित किया गया है कि केवल रिश्तेदार सम्बन्धी होने के कारण किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Masalti and Ors. v. The State of Uttar Pradesh, AIR 1965 SC 202 (in para 14), में कहा है कि " There is no doubt that when a criminal Court has to appreciate evidence given by witnesses who are partisan or interested, it has to be very careful in weighing such evidence. Whether or not there are discrepancies in the evidence; whether or not evidence strikes the Court as genuine; whether or not the story disclosed by the evidence is probable, are all matters which must be taken into account. But it would, we think, be unreasonable to contend that evidence given by witnesses should be discarded only on the ground that it is evidence of partisan or interested witnesses. Often enough, where factions prevail in villages and murders are committed as a result of enmity between such factions, criminal Courts have to deal with evidence of a partisan type. The mechanical rejection of such evidence on the sole ground that it is a partisan would invariably lead to failure of justice. No hard and fast rule can be laid down as to how much evidence should be appreciated. Judicial approach has to be cautious in dealing with such evidence; but the plea that such evidence should be rejected because it is partisan cannot be accepted as correct." इसी प्रकार C. Muniappan Vs State of T.N. (2010) 9 SCC 567 एवं State of UP Vs Ramesh Prashad Mishra (1996) 10 SCC 360 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि The Evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole and relevant parts thereof which are admissible in law can be used by the prosecution or the defence.

24. प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में जो साक्ष्य बयान है, उनके आधार पर भी अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। इस सम्बन्ध में State of Maharashtra vs D.L. Rao ACC 2010 (17) 849 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही दिया जायेगा।

25. इस प्रकार उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के जो साक्षी प्रस्तुत किये गये है। उन सभी साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षा के बयानों मे अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है, बल्कि यह बयान दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री कोमल देवी न तो मारा पीटा गया और न ही उसके शरीर मे मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाकर मारा गया है तथा न ही गाली गलौज किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

26. अतः अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला व आशादेवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 302 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, भगवती देवी उर्फ निर्मला, आशा देवी व विनय कुमार शुक्ला के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

27. अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती भगवती देवी उर्फ निर्मला व आशादेवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 302 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण रमेश प्रसाद शुक्ला, भगवती देवी उर्फ निर्मला, आशा देवी व विनय कुमार शुक्ला

के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

28. अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उसकी ओर से दाखिल बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। जामिनान को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

29. अभियुक्तगण द्वारा धारा– 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंन्तर्गत प्रस्तुत बन्ध–पत्र एवं प्रतिभू पत्र अग्रिम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगें।

30. इस केस के वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०–1 शिवभूषण के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और उसने न्यायालय में उपस्थित होकर जानबूझकर साक्षी के रूप में मिथ्या साक्ष्य दिया है। उसके द्वारा जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को बचाते हुए तहरीर से भिन्न एवं मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। अतः न्यायहित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू० 1 शिवभूषण के विरुद्ध गलत सूचना एवं मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए। अतः साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०–1 शिवभूषण के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०स० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है और उसे कारण दर्शित करने के लिए नोटिस निर्गत करते हुए अगली तिथि तक का समय दिया जाता है कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जाये।

31. प्रकीर्ण वाद की पत्रावली अलग से उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिवभूषण के नाम से खोली जाये। कार्यालय लिपिक उक्त के संबंध में अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस पत्रावली में उक्त निर्णय की एक प्रति रखी जाये तथा विपक्षी शिवभूषण को अगली तिथि के लिए नोटिस निर्गत किया जाये।

32. प्रकीर्ण वाद की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.08.2026 को पेश हो।

दिनाँक 20.07.2026

(राम किशोर–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर–1, फतेहपुर।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक 20.07.2026

(राम किशोर–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर–1, फतेहपुर।